राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी आर0एन0 1289/94 जिला –भिण्ड

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7.08.2015	आवेदक की ओर से अधिवक्ता एवं आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । समय समय पर आवाज लगवाई गई उसके उपरांत भी कोई उपस्थित नहीं । अतः आवेदक अधिवक्ता एवं आवेदक के अनुपस्थित होने के कारण एवं प्रकरण में कोई रूचि नहीं होने के कारण प्रकरण समाप्त किया जाता है । सदस्य	

FEE INDIA 75 PAISE FEE INDIA 75 PAISE दो रुपये TWO RUPEES TWO RUPEES 2 RS दो रुपये TWO RUPEES

C.F. Rs. 7.50

न्यायालय बोर्ड आफ रैवेन्यू म.प्र.

प्र.क्र. /94 निगरानी

RN/Ma/P/1288/94

अजयपालसिंह पुत्र श्री अतिबलसिंह, निवासी ग्राम पुलावली, परगना व जिला भिण्ड ------- प्रार्थी

बनाम

1- सुखपालसिंह पुत्र श्री विशेश्वरसिंह

2- रघुवीरसिंह पुत्र श्री उजागर सिंह निवासीगण ग्राम पुलावली परगना व जिला भिण्ड --- प्रतिप्रार्थीगण

क्रमांक ....
श्री राजाराम शर्मा 26.12.94
अभिभाषक द्वारा आज दिनांक
को प्रस्तुत 26.12.94
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

निगरानी विरुद्ध आदेश अपर आयुक्त चंबल संभाग, आदेश दिनांक 30-7-94, पारित प्रकरण क्रमांक 147/89-90 अपील, अन्तर्गत धारा 50 रे.को.

श्रीमान,

निगरानी प्रार्थी निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :-

1- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि तथा अभिलेख के विपरीत होने से निरसन योग्य है ।

2- यह कि, विचारण न्यायालय ने स्थाई पटेली की नियु[क्ति] की कार्यवाही में ही अस्थाई पटेल नियुक्ति करने का आ[देश] प्रदान किया था । ऐसा आदेश प्रकरण में अंतिम आदेश नहीं कहा जा सकता ।

3- यह कि, अस्थाई पटेल की नियुक्ति नामांकित की ... अधिकारी महोदय के ... सकती है और अनुविभागीय ... आदेश को अपील में ... ऐसे नामांकित करने के ... नही दी जा सकती है ।

8/7/2018